

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1876/11-सी-FP/UP/Approach/147884/2021 लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 24, 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-फर्रुखाबाद के अन्तर्गत एटा-कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग की दांयी पटरी पर किमी० न०-100 (730) के मध्य ग्राम-खारबन्दी भीकमपुर के खसरा संख्या-659, 660क, 666ख में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.059033 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Approach/147884/2021)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/२५५/२०२१/एफ०सी०/५६३, दि० ०७.१२.२०२१
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक-2013/14-1 दिनांक 24.12.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1876/11-सी FP/UP/Approach/147884/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फर्रुखाबाद।
- 3- टैरीटरी प्रबन्धक, (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बरेली-243122

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

o/c